न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– संजय कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 68/2016

1. अजीतपाल सिंह पुत्र श्री गुरमहेन्द्र सिंह पुत्र मलकीयत सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी 14 Villagelake Crescent, Brampton, Ontario, L6S 6K2, Canada जरिये मुख्तयारेआम ठाकुर सिंह सिद्ध पुत्र श्री अवतार सिंह सिद्ध जाति जटसिख निवासी गांव बख्तांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

– – प्रार्थी

बनाम

1. गुरमहेन्द्र सिंह –**मृतक**

   1/1 – गुरकृपाल सिंह पुत्र श्री गुरमहेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

   1/–2– परमजीत कौर पुत्री श्री गुरमहेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. रविन्द्र कौर पनि गुरमहेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी गांव 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
3. कुलवीर सिंह पुत्र बलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. अमरजीत सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
5. परमजीत कौर पुत्री जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. कर्मजीत कौर पुत्री जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
7. पुरूषोतम सिंह पुत्र जगीर सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
8. सुखजिन्द्र सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
9. बलजिन्द्र सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:53:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

10. मलकीत सिंह पुत्र चन्द सिंह जति जटसिख निवासी गांव 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर

11. जसकरण सिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर

12. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 212 राज. काश्त. अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1.	श्री तेजा सिंह	— — प्रार्थी
2.	श्री कुलविन्द्र सिंह	— — अप्रार्थी 1/1, 1/2, 2

दिनांक :–14.02.2024

–:: आदेश ::–

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि आंवेदक व अनावेदक संख्या 1 के नाम से चक 21 जैड के खाता 45/39 मुरब्बा नम्बर 20 में मुश्तर्का खाता में आवेदक के नाम से 1.492 है. अनावेदक संख्या 1 के नाम स 1.631 है. भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। चक 21 जैड का खाता संख्या 32/3 मुरब्बा नम्बर 18 में अनावेदक संख्या 1 के नाम से 1.053 है. भूमि दर्ज है। अनावेदक संख्या 1 जो आवेदक का पिता है उसकी दो शादीयां हुई थी। प्रथम शादी मनजीत कौर उर्फ जसविन्द्र कौर से हुई थी जिसके नुत्फा से आवेदक का जन्म हुआ। आवेदक के पिता द्वारा आवेदक की माता के देहान्त के बाद दूसरी शादी रविन्द्र कौर से करवा ली थी जो प्रतिवादी संख्या 2 है जिसके नुत्फा से गुरकिरपाल सिंह पुत्र पैदा हुआ । आवेदक व अनावेदक संख्या 1 का आपस में मनमुटाव हो गया था। क्योंकि अनावेदक संख्या 1 ने दूसरी शादी करली थी। इसलिए अनावेदक संख्या 1 का व्यवहार आवेदक के प्रति अशोभनीय हो गया था । अनावेदक संख्या 1 के दूसरा पुत्र गुरकिरपाल सिंह पैदा होने के बाद उनके प्रभाव में था। इसलिए आवेदक [illegible] नानी अपने पास ल गये थे। गांव बख्[illegible] में पालन [illegible] कि[illegible]था। आवेदक के नाना नानी व मोतबिरान व्यक्तियों ने घर [illegible] वर्ष 1992 में करवा दिया था। जबकि पारिवारिक समझौते के अनुसार भूमि का खातेदार हो चुका था लेकिन अब अनावेदक संख्या 1 के [illegible] में बदनीयती आ

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:53:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

गयी है उसने जो आवेदक के हिस्से में 27–5–1992 को जो भूमि आयी उसपर बैंक से लोन उठवा लिया और अब किसी अन्य व्यक्ति को बेचने की फिराक में है । जबकि अनावेदक संख्या 1 को बैय करने का कोई अधिकार नहीं है । अनावेदक संख्या 1 ने तो दिनांक 27–5–1992 को पारिवारिक समझोते में आवेदक को दी थी । पारिवारिक समझोते के अनुसार आवेदक खातेदार है इसके आधार पर आवेदक अधिकारों की घोषणा करवाकर डिग्री लेने का अधिकारी है। उक्त वादग्रस्त भूमि चक 21 जैड मुरब्बा नम्बर 20 व 18 में जो आवेदक की 17 बीघा भूमि में से 6.05 बीघा भूमि वादी व शेष भूमि अनावेदक संख्या 1 के नाम से है, यदि आवेदक संख्या 1 यह भूमि बेच देता है तो आवेदक अपने अधिकारों से महरूम हो जावेगा, आयन्दा मुकदमेबाजी बढेगी, दावा का मकसद फोत हो जावेगा तथा आवेदक को नापूरा होने वाला नुकसान होगा। ऐसी सूरत में आवेदक दौराने दावा अनावेदक संख्या 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की पाने का अधिकारी है कि वाके चक 21 जैड मुरब्बा नम्बर 18 व 20 में अनावेदक संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि को वह किसी प्रकार से रहन, बैय व अन्य तरीके से मुन्तकिल करने से निषेध रहे। यह कि प्रथम दृष्टया केस सुविधा का सन्तुलन व अपरिमेय क्षति का बिन्दु वादी के पक्ष में साबित है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/2 व 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थनापत्र की मद स0 2 में राजस्व रिकार्ड के अनुसार भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी स० 1 के नाम से दर्ज होना स्वीकार है। चक 21 जैड के खाता स0 32/3 के मु0न0 18 में प्रतिवादी स० 1 के हैक्टर भूमि दर्ज होना स्वीकार है। अप्रार्थी स० 1 की दो शादीयां हुई थी प्रथम शादी से प्रार्थी का जन्म होना स्वीकार है परन्तु प्रार्थी की माता के देहन्त के बाद दूसरी शादी रविन्द्र कौर से होने पर अप्रार्थी स० 1/1 गुरकिरपाल सिंह लडका पैदा हुआ था तथा अप्रार्थी स० 1/2 परम पुनीत कौर पैदा हुई थी, प्रार्थी द्वारा बनाया गया सजरा में परमपुनीत कौर का नाम जानबूझकर अंकित नही किया है प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के शीर्षक में अप्रार्थी संख्या 1/2 स्थान पर परमजीत कौर पुत्री श्री गुरमहेन्द्र सिंह दर्ज किया है जबकि अप्रार्थी संख्या 1/2 का नाम परमपुनीत कौर है जिसे प्रार्थी द्वारा [illegible] गलत अंकित किया गया है । 5. यह कि प्रार्थनापत्र की मद स0 5 [illegible] के कारण [illegible] के पैदा होने अस्वीकार है अप्रार्थी स० 1 की दूसरी शादी से गुरकि[illegible] के बाद उनके प्रभाव में होना गलत अंकित किया गय[illegible] मिनअप्रार्थी स०

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:53:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

1/1,1/2आयु में छोटे होने के कारण इनका अप्रार्थी स० 1 पर कोई प्रभाव नहीं था। प्रार्थी के नाना नानी व मोतबिरान व्यक्तियों के सामने पारिवारिक समझोता दिनांक 27.5.1992 को होना अस्वीकार है मद स0 6 (क) के अनुसार चक 21 जैड के खाता स0 45/39 के मु0न0 20 में 6 बीघा 6 बिस्वा का बैयनागा पूर्व में होना व मु०न० 20 में 6.05 बीघा कुल 12.10 बीघा भूमि वादी को देना अस्वीकार है मु0न0 18 की 4.10 बीघा भूमि देना अस्वीकार है परिवारिक समझौता में कुल 17 बीघा भूमि देना अस्वीकार है तथा मौके पर कब्जा व पानी सम्भला देना भी अस्वीकार है। मद स0 6 (ख) के अनुसार अचल सम्पत्ति चक 23 जैड में रिहायशी मकान एक खाली प्लाट व 15 हजार रूपये व प्रार्थी की माता के जेवरात देना अस्वीकार है गांब धनूर में 1/3 हिस्सा देना अस्वीकर है, प्रार्थी द्वारा तथाकथित पारिवारिक समझौता में अंकित समस्त भूमि का विवरण वादपत्र में नही दिया है जबकि पारिवारिक समझौता में चक 1 एल मौजा मटीलीराठान तहसील श्रीगंगानगर के मु0न0 10 के 8 बीघा का भी वर्णन अंकित है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पारिवारिक समझौता में प्लाटो का साईज खाली छोडा दिखाया गया है इस पारिवारिक समझौता की कानूनन कोई महत्व नही है चूंकि यह पारिवारिक समझौता की फोटो प्रति है जो साक्ष्य में पढी नही जा सकती है तथाकथित पारिवारिक समझौता पर मिन अप्रार्थीगण की सहमति नही है और ना ही सहमति स्वरूप हस्ताक्षर अंकित है इसलिए पारिवारिक समझौता विधि विरूद्व है किसी दस्तावेज को अंशिक रूप से लागु नही करवाया जा सकता, प्रार्थी द्वारा केवल कृषि भूमि की हद तक दावा पेश किया है जो कि चलने योग्य नही है । प्रार्थनापत्र की मद स० 7 गलत होने के कारण अस्वीकार है प्रार्थी द्वारा ठाकर सिंह को कोई मुख्त्यारनामा नही दिया गया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुख्यारनामा कानून वैध नही है इसलिए प्रार्थी का वादपत्र अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी व अप्रार्थी स0 1 के मध्य कोई पारिवारिक समझौता नही हुआ तो प्रार्थी को भूमि मिलने का सबाल ही पैदा नही होता है प्रार्थी को पारिवारिक समझौता से कोई अधिकार प्राप्त नही होते है जब भूमि अप्रार्थी स० 1 के नाम से थी वह ही अकेला मालिक था इसलिए बैक से लोन लेने का उसे पुरा अधिकार था प्रार्थी को तथाकथित पारिवारिक समझौता से कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। प्रा[illegible]कार है जिसके विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना [illegible] किया जा सकता है, प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता [illegible] प्रार्थी को किसी प्रकार की क्षति नहीं है इसलिए प्रार्थी अस्थाई निषेध[illegible] प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:53:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अपरिमेय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अतिरिक्त कथन– अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने जीवनकाल में एक वसीयत दिनांक 3.6.2015 को मिन अप्रार्थीगण के पक्ष में रोबरू गवाहन निष्पादित करवाई थी उकत वसीयत उपपंजीयक श्रीगंगानगर में पंजीकृत की गई है इस वसीयत के अनुसार चक 21 जैड के खाता स० 14/14 के मु0न0 28 में 2.936 हैक्टर, खाता स० 39/45 के मु0न0 20 की 6.325 में से 1.631 हैक्टर एव खाता स० 3/32 के मु0न0 18 की 3.163 हैक्टर में से 1. 053 हैक्टर इस प्रकार तीनो खातो की कुल 5.620 हैक्टर नहरी भूमि की आमदन व पैदावार से ताजिन्दगी श्रीमति रविन्द्र कौर अप्रार्थी स० 2 को गुजारा के लिए दी गई है अप्रार्थी स० 2 की मृत्यु के बाद कुल 5.620 हेक्टर कृषि भूमि में से 4.741 हेक्टर का मालिक अप्रार्थी स० 1/1 व 1/2 बहिस्सा बराबर होगे तथा प्रार्थी को 0.879 हेक्टर भूमि दी गई है चूंकि प्रार्थी को पूर्व में 1.492 हेक्टर भूमि दी जा चुकी है इस प्रकार उक्त भूमि वसीयत के अनुसार मिलेगी, वसीयत की प्रति संल्गन प्रार्थनापत्र है। मिनअप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वसीयत अंतिम वसीयत है जो अपना प्रभाव रखती है कानूनन अंतिम वसीयत ही मान्य है जबकि मिनअप्रार्थीगण अंतिम वसीयत के आधार पर भूमि के अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पारिवारिक समझोता दिनांक 27.5.1992 पर मिनअप्रार्थी स० 1/1, 1/2 व 2 के हस्ताक्षर नहीं है इसलिए कानूनन इसकी कोई बैधता नही है चूंकि मिनअप्रार्थी स0 1/1, 1/2 व 2 भी प्रार्थी के सामान बराबर के हकदार थे, इसलिए पारिवारिक समझौता से पहले अप्रार्थी स० 1/1, 1/2 व 2 की सहमति ली जानी आवश्यक थी जिसके अभाव में उकत पारिवारिक समझौता शून्य दस्तावेज है। पारिवारिक समझौता की कभी पालना नही की गई और ना ही उसके अनुसार कभी कब्जा दिया गया है वैसे भी फोटो प्रति दस्तावेज से कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। पारिवारिक समझौता पंजीकृत नही होने के कारण विश्वासनीय दस्तावेज नही है तथा पारिवारिक समझौता किसी भी प्रयोजन हेतु साक्ष्य में ग्राह्मय नही है। किसी दस्तावेज को आंशिक रूप से लागु नहीं करवाया जा सकता प्रार्थी द्वारा केवल कृषि भूमि की हद तक दावा पेश किया है जो कि चलने योग्य नही है । अतः जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज किया जावे

बहस विद्वान अभिभाषकगण द्वारा सुनी गई। [illegible] प्रार्थी की मुख्य बहस यह रही कि प्रार्थी का पिता गुरमन्दर सिंह है प्रार्थी [illegible] से नाना के पास रहता आया है। सन् 1992 में गुरमन्दर सिंह ने [illegible] सेटलमेंट से 17 बीघा अजीतपाल सिंह को दी थी एवं दूसरी शादी कर ल[illegible] प्रार्थी विदेश चला गया। गुरमन्दर सिंह की दूसरी शादी से दो बच्चे हुए। गुरमन्दर सिंह ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:53:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

वसीयत कर दी। सैटलमैंट वाली भूमि भी वसीयत कर दी। प्रकरण में जो स्टे दिया गया है वह कब्जे का ना होकर सिफल रहन बैय नहीं करने का दिया गया है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा इंतकाल करवा लिया गया तो दावा निष्प्रभावी हो जाऐगा। प्रार्थी गुरमन्दर सिंह की प्रथम पत्नी की संतान है। जब तक दावा चले तब तक स्टे कन्फर्म किया जावे। वकील अप्रार्थी की मुख्य जवाब बहस यह रही कि चक 21 जैड के खाता सं0 45/39 मुरब्बा नं0 20 में मुस्तरका खाता में प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 के नाम से दर्ज है एवं खाता सं0 32/3 मुरब्बा नं0 18 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम से 1. 053 है0 भूमि दर्ज है। अप्रार्थी सं0 1 गुरमहेन्द्र सिंह मन अप्रार्थी सं0 2 रविन्द्र कौर का पति है एवं अप्रार्थी सं0 1/1 व 1/2 का पिता है। गुरमहेन्द्र सिंह की दो शादियां हुई थी, प्रथम शादी से प्रार्थी का जन्म हुआ परन्तु प्रार्थी की माता के देहान्त के बाद दूसरी शादी मन अप्रार्थी रविन्द्र कौर से होने पर अप्रार्थी सं0 1/1 गुरकृपाल सिंह लड़का पैदा हुआ तथा अप्रार्थी सं0 1/2 परमपुनीत कौर पैदा हुई थी । प्रार्थी द्वारा बनाये गये सजरा में परमपुनीत कौर का नाम जानबूझकर अंकित नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा कथित पारिवारिक समझौता दिनांक 27–05–1992 कूटरचित दस्तावेज है जिस पर मन अप्रार्थीयान के हस्ताक्षर मौजूद नहीं है एवं ना ही सभी खातेदारों के हस्ताक्षर है उक्त पारिवारिक समझौता का कानूनन कोई महत्व नहीं है चूंकि यह पारिवारिक समझौता की फोटो प्रति है जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है तथाकथित पारिवारिक समझौता की मूल प्रति भी प्रस्तुत नहीं की गई इससे साबित है की उक्त दस्तावेज वाद–पत्र का आधार बनाने के लिये कुटरचित तैयार किया गया है तथा तथाकथित पारिवारिक समझौता पर मिन अप्रार्थीगण की सहमति नहीं है और ना ही सहमति स्वरूप हस्ताक्षर अंकित है। प्रार्थी द्वारा मुख्तयारनामा के आधार पर उक्त वाद–पत्र स्थग्न प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त मुख्तयारनामा वैद्य नहीं है, प्रार्थी का वाद–पत्र अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जो की निरस्त योग्य है । पारिवारिक समझौता से कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, मन अप्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है जिसके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता है एवं प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु साबित नहीं होते जिस कारण स्थग्न प्रा[illegible] योग्य है। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अपने जीवनकाल में एक वसीयत दिनांक [illegible]–06–[illegible]15 को मिन अप्रार्थीगण के पक्ष में रौबरू गवाहान [illegible] उक्त वसीयत उप पंजीयक श्रीगंगानगर में पंजीकृत की गई है, इस वसीयत के अनुसार चक 21 जैड के खाता सं0 14/14 के मुरब्बा नं0 28 में 2.936 है० खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:53:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

सं0 39/45 के मुरब्बा नं0 20 की 6.325 में से 1.631 है0 एवं खाता सं0 3/32 के मुरब्बा नं0 18 की 3.163 है0 में से 1.053 है० इस प्रकार तीनों खातों की कुल 5.620 है0 नहरी भूमि की आमदन व पैदावार मसे ताजिन्दगी मन रविन्द्र कौर अप्रार्थी सं0 2 को गुजारा के लिये दी गई है अप्रार्थी सं0 2 की मृत्यु के बाद कुल 5.620 है0 कृषि भूमि में से 4.741 है0 का मालिक अप्रार्थी संव 1/1 व 1/2 बहिस्सा बराबर होंगे तथा प्रार्थी को 0.879 है0 भूमि दी गई है चूंकि प्रार्थी पूर्व में 1.492 है0 भूमि दी जा चुकी है इस प्रकार उक्त कृषि भूमि वसीयत के अनुसार प्राप्त होगी, वसीयत की प्रति संलग्न है उक्त वसीयत अंतिम वसीयत है जो अपना प्रभाव रखती है कानूनन अंतिम वसीयत ही मान्य है जबकि मिन अप्रार्थीगण अंतिम वसीयत के आधार पर भूमि के अधिकारी है। कथित कुटरचित समझौता दिनांक 27–05–1992 पर मिन अप्रार्थी सं0 1/1, 1/2 व 2 के हस्ताक्षर नहीं है जबकि पारिवारिक समझौता से पहले अप्रार्थी सं0 1 / 1 व 1/2 व 2 की सहमति ली जानी आवश्यक थी जबकि अप्रार्थी सं0 1/1 व 1/2 व में उक्त कथित पारिवारिक समझौता ही प्रभाव शून्य है इस स्थिति में उक्त आधार पर प्रार्थी स्थग्न प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वसीयत दिनांक 03–06–2015 को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है जिसी भांति–भांति जानकारी प्रार्थी को थी इसी कारण प्रार्थी द्वारा उक्त वाद–पत्र दिनांक 27–04–2016 को प्रस्तुत किया गया है इस स्थिति में भी उक्त प्रार्थना–पत्र निरस्त योग्य है। अप्रार्थीया विधवा है एवं अपनी पुत्री के साथ अपना जीवनयापन कर रही है। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर लालचवश अप्रार्थीया को तंग व परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया जाकर वर्ष 2016 में गलत तथ्यों के आधार पर उक्त एकतरफा स्थग्न प्राप्त किया गया है जो की खारिज योग्य है। प्रार्थी अजीतपाल सिंह द्वारा अप्रार्थी सं० 1 गुरमहेन्द्र सिंह से गंभीर चोटें मारकर सिर फोड़ दिया जो समाचार दैनिक भोर समाचार–पत्र में दिनांक 16–05–1995 में प्रकाशित किया था इससे स्पष्ट हैं की पंजीकृत वसीयत सही है प्रार्थी मन अप्रार्थीगण के विरूद्ध अनुतोष का हकदार नहीं है। प्रार्थी द्वारा उक्त स्थगन आदेश के कारण मन अप्प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में बाधा उत्पन्न की जा रही है। जिस कारण प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज एवं परिस्थितियों का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज बाहमी सैटलमैन्ट पारिवारिक समझौता दिनांकित 27.05.1992 नोटेरी अटेस्टड फोटो स्टेट प्रति है जिसकी असल आज तक प्रार्थी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:53:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

नहीं की गई है। उक्त सैटलमैंट पारिवारिक समझौता एक अपंजीकृत दस्तावेज फोटो प्रति है जिसकी सत्यता पर विचार किया जाना है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत दस्तावेज वसीयतनामा 03.06.2015 की प्रति से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने जीवनकाल में वसीयत की गई है जिसमें गुरमहेन्द्रसिंह के समस्त वारिसान का हिस्सा अंकित किया गया है। उक्त कथित दस्तावेज बाहमी सैटलमैन्ट पारिवारिक समझौता दिनांकित 27.05.1992 प्रभाव शून्य है इस स्थिति में कथित दस्तावेज बाहमी सैटलमैन्ट पारिवारिक समझौता दिनांकित 27.05.1992 के आधार पर प्रार्थी स्थग्न प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी द्वारा पंजीकृत दस्तावेज वसीयत दिनांक 03–06–2015 को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है जिसकी जानकारी प्रार्थी को थी। ऐसी स्थिति में प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना न्याचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 14.02.2024 को लिखवाया जाकर उभ्यपक्ष को सुनाया गया।

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:53:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner